

फॉर्म नं. आईएनसी –26

[कंपनी (निगम) नियम] 2014 के नियम 30 के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में धारा 13(4) के तहत कंपनी (निगम) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू, किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम सहित) के साथ पठित

आप

FCAP Technologies Private Limited (सीआईएन: U72900HR2018PTC076851) के मामले में एक कंपनी निदेशक पंजीकृत कार्यालय 1412-ए, बेवली पार्क 2 डीएएफ फेज 2, एमजी रोड, गुडगांव, हरियाणा, 122002, भारत में है।

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी 30 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निदेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर जमा कर सकता है अथवा अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से 'क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंबेदकर नगर, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003' को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 (बीस दिन) के भीतर आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ उसका पंजीकृत कार्यालय 1412-ए, बेवली पार्क 2 डीएएफ फेज 2, एमजी रोड, गुडगांव, हरियाणा, 122002, भारत" पर भेज सकता है।

के लिए और की ओर से
FCAP Technologies Private Limited
हस्ता/-
स्थान: गुडगांव, हरियाणा
दिनांक: 31/12/2024

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: छत्री मॉडल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल टैजेट हेंडमार्क के पास, अग्रोफ वार्डिन के पास, बीआरटीएस, हल्द्वी – अंबली रोड, कोयंबे, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054 कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-902, लेटस पार्क, वाइज वर्क कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरगांव (हैट), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत, पिन नंबर: +91 22 61796400, ई-मेल: contact@kifshousing.com वेबसाइट: www.kifshousing.com सीआईएन: U65922GJ2015PLC085079 आरटीआई केस: DOR-00145

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आसियों के पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधनी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/गारंटरी द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियों पर बकाया शेष राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। हमने पहले ही प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आसियों के पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित विस्तृत मांग नोटिस पंजीकृत डाकदरपीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपको देय पावती के साथ जारी कर दिया है, जो बिना वितरित किए वापस आ गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई है। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में आपकी विफलता के मामले में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने का इरादा दर्शाया है। यदि आप ऊपर बताए अनुसार दायित्व का निवेदन नहीं करते हैं तो बैंक/सुरक्षित ऋणदाता संरक्षणी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और संरक्षणी अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा कब्जे की सूचना/नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय बैंक/सुरक्षित ऋणदाता आपका फोटो भी प्रकाशित कर सकता है। वितरण नीचे दिए गए हैं:—

| क्र.सं. | साक्ष/आवेदन संख्या/एवकार सं. | उधारकर्ता/साह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और एनपीए की तिथि | कीमती नोटिस की तिथि बकाया राशि | सुरक्षित परिष्कृतियों का विवरण: |
|---------|------------------------------|--|--|---|
| 1 | फापीएल/11597/LNHLPN011724 | 1. श्री दशवीर सिंह (आवेदक) 2. सुमी सोनिया सोनिया (सह-आवेदक 1) एनपीए: 08 सितंबर, 2024 | कीमती नोटिस की तिथि 19 सितंबर, 2024 जे/एस ₹368481/— | संपत्ति का पता: खोखर नंबर 1902, खलीजी नंबर 1750, मुहल्ला नंबर 146, किता नंबर 6/18, पावर हाउस के पास नीलवा इराफा फापीएल हरियाणा भारत 132103 विशेष विवरण के अनुसार: पूरे खेत परियोजना: गली उत्तर : कतिता का मकान दक्षिण : पम्पहाउस का खाली प्लॉट सड़क के अनुसार : पूर्व : 16 फीट 4 इंच, अन्य की भूमि भूमि परियोजना : 16 फीट 4 इंच, सड़क 19 फीट बीबी स्तर : कतिता देवी का मकान फली खोखरी दक्षिण : पम्पहाउस का खाली प्लॉट. |

उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरी को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) संरक्षणी अधिनियम के तहत आने की कार्यवाई से बचने के लिए उपरोक्त संचर्चित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

दिनांक: 01.01.2025
स्थान: हरियाणा
हस्ता/—, प्राधिकृत अधिकारी
केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रैस्ट", सी 64 एवं 65, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, चंडीगढ़ शाखा : एस.सी.ओ. 350, 351, 352, तृतीय तल, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के परंतुक के साथ पठित

वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

आप, निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदाता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने आपके विरुद्ध वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है और कि आप कर्जदारों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना पंजीकृत पावती डाक के माध्यम से भेजी गई सूचना अविरतित के रूप में वापस प्राप्त हो चुकी है। अतएव, आप से एतद्वारा सूचित होने और उक्त खाते में वर्णित बकाया ऋण राशि उस पर उद्भूत होने वाले ब्याज के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, कम्पनी अपनी बकाया राशि की वसूली ब्याज और लागतों सहित करने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिभूति के प्रवर्तन द्वारा आपके विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यह सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना जारी की जा रही है।

| कर्जदार/रों का नाम और पता | ऋण राशि | मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि | सम्पत्ति/प्रतिभूत आसित का वर्णन |
|--|----------------------------------|--|--|
| ऋण खाता सं. HE01SLA00000025284 1. कम चंद (आवेदक) 2. लुकेश कुमार (सह-आवेदक) 3. मीना जी (सह-आवेदक) | ₹. 25,27,442 /— | 17—12—2024 तथा ₹. 25,27,442 /— 12—12—2024 तक बकाया उस पर आगे ब्याज के साथ | सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि खाता/खतौनी नंबर 38/80, खसरा नंबर 184,185, 186, 188, 345, 346 तथा 347 किते 7 परिमाण 00-15-16 हेक्टेयर (1516 वर्ग मीटर) उसका 4620/25200 हिस्सा, जो 00-02-78 हेक्टेयर (278 वर्ग मीटर) बैठता है, स्थित : मौजा शिल्नु कला, हदबस्त नंबर 954, पटवार सरकल ठीरो, तहसील परवाना, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, जमाबंदी वर्ष 2017-2018 के अनुसार, पंजीकृत बंधक डीड नंबर 227/2022 दिनांकित 21-06-2022 के माध्यम से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में पंजीकृत है जिसकी डीड बही नंबर 01 की अतिरिक्त जिल्व नंबर 30, पेज नंबर 43 से पेज नंबर 46 तक पर और अनुपूरक बही जिल्व नंबर 20 के पेज नंबर 87 से पेज नंबर 97 पर चरपा है। |
| तिथि : 01-01-2025 स्थान : चंडीगढ़ | | | प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड |

ऋण वसूली न्यायाधिकरण—1, दिल्ली के समक्ष चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

टी.ए. नं. 1649/2022
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बनाम
कुणाल पुरी और अन्य
आवेदक
प्रतिवादी

सेवा में,
(1) कुणाल पुरी, पुत्र राजेंद्र नारायण पुरी
पता: 4214 / 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, एमसीडी हेल्थ केयर, नई दिल्ली-110002
इसके अलावा: कार्यालय: कार्यालय संख्या 404, चौथी मंजिल, आईएलसी ट्रेड सेंटर, सोहना रोड, सेक्टर-47 गुडगांव हरियाणा- 122001
(2) अरुणा पुरी
4214 / 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, एमसीडी हेल्थ केयर, नई दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली-110002
इसके अलावा: इन्सुजेड-2373, दूसरी मंजिल, राजा पार्क, रानी गांव, दिल्ली-110034
(3) आग्रपाली लीजर वैली प्राइवेट लिमिटेड
307, तीसरी मंजिल, निगुण टावर कम्युनिटी सेंटर, कडकड़बूमा, दिल्ली पूर्व, दिल्ली-110092

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध ₹. 28,05,353.00 (रुपये अट्ठाईस लाख पांच हजार तीन सौ तिरपन मात्र) की वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 30.01.2025 को प्रातः 10-30 बजे माननीय एल.डी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया बीआरटी की वेबसाइट www.e TRIBUNAL.gov.in फोन नं. 011-23748473 देखें)।

यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को टिप्पणुल के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और नियुग लिया जाएगा।

सभी मामलों को बीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए—(ए) सभी अधिकारों/बादी रिफोर्मी वीबेस एप्लीकेशन/सोफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। (द) अपनी तारीख की सुनवाई के लिए 'मीटिंग आईडी' और पारवर्ध रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर—/और रिकवरी ऑफिसर—/द्वारा लिया जाएगा जोकि अपनी तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर शीर्षक सार्वजनिक सूचना के तहत उपलब्ध होगा। (ए) किसी भी प्रकार की अन्य अविवार्य सूचना के लिए, अधिकारों/बादी संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 03 दिसम्बर, 2024 को दिया गया।
न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा,
एल.डी. रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे की पुछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते हैं।
एल.डी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-1, नई दिल्ली
फोन नंबर 011-23748473, ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

promax प्रोमैक्स पावर लिमिटेड
सीआईएन: L74999CH2017PLC041692
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, एमसीओ 69, सैक्टर 38बी, सैक्टर 38, चंडीगढ़, भारत, 160036। कूर्याण: 9023188830
ईमेल: cs@promax.co.in। वेबसाइट: www.promax.co.in

डाक मतपत्र नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है की धारा 108 और 110 के प्राक्काओं और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य लागू प्राक्काओं, यदि कोई हो, के अनुसार, जो कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिरिंटिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिरिंटिंग विनियम") के नियम 20 और 22 के साथ पठित, द ईस्ट्रेट्यूट ऑफ कंपनी सॉल्वेंटरीज ऑफ इंडिया ("एसएल-2") द्वारा जारी सामान्य बैचों को पर सचिवों मानक -2, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन (एस) या पुनः अधिनियम (एस) शामिल हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी मामलों पर लागू परिणाम के साथ पठित और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अधीन, **सौमवार, 30 दिसंबर, 2024** के पोस्टल बैलट सूचना में निहित मामलों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है।

ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण दर्ज करने का तरीका:

● **मौखिक रूप में शेष रखने वाले शेषधारक:** कंपनी का नाम, फोसियों नंबर, बैंक खाता विवरण, स्वयं का उल्लेख करते हुए शेषधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुसूच पत्र भेजकर अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत /अपडेट करें। मैं काई की सत्यापन प्रति और रद किया गया बैक पता। यदि रद किए गए बैक लीफ पर शेषधारक का नाम नहीं है, तो कृपया बैंक पासबुक विवरण की एक प्रति संलग्न करें, जिससे कंपनी को cs@promax.co.in पर या आरटीए को investor@cameoindia.com पर रस-सत्यापित किया गया है।

● **डिजिटल/यलाइड्ड मोड में शेष रखने वाले शेषधारक:** अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत /अपडेट करें।

नोटिस की ई-प्रति वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:

क) कंपनी www.promax.co.in पर, ख) स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") www.bseindia.com पर और ग) www.comeoindia.com पर आरटीए

संशोधित नियमों के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, लिरिंटिंग विनियमों के विनियम 44 और एसएल-2 के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा पारित विषय जाने का प्रस्ताव।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आरटीए की सेवाएं ली हैं।

नोटिस में सदर्भित सभी दस्तावेज नोटिस भेजने की तारीख से सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य कंपनी सचिव को cs@promax.co.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग निर्देशों को इस प्रकार नोट करें:

(ए) नोटिस कंपनी के उन शेषधारकों को भेजा जा रहा है जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर /लामकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

(बी) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लागूवर्ती मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, नोटिस में निम्नलिखित प्रस्तावों पर वोट देने का हकदार होगा।
(सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 31 दिसंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 29 जनवरी, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद आरटीए द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डी) इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जिनके पास कट-ऑफ तिथि पर मौखिक या अमौखिक रूप में शेष हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है, तो उसे बाद में ऐसे सदस्य द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद जांचकर्ता इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत अध्यक्ष / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को रिपोर्ट सौंपेंगे। परिणाम 2 कार्य दिवसों पर या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट (www.promax.co.in), आरटीए (www.comeoindia.com) और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई (www.bseindia.com) पर स्क्रीनग्राइपर की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।

आपका विचारणीय,

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता/-
विशाल भादवाज
प्रबंध निदेशक
सीआईएन: 03133388

दिनांक: 30.12.2024
स्थान: चंडीगढ़

THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT AN ADVERTISEMENT UNDER THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 AND IS NOT INTENDED FOR INFORMING PERSONS ABOUT OUR REAL ESTATE PROJECTS OR TO INVITE ANY PERSON TO MAKE ADVANCES OR DEPOSITS IN RELATION TO ANY OF OUR REAL ESTATE PROJECTS.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



Neelkanth

NEELKANTH REALTORS LIMITED

(Bhimjyani Group)

Our Company was originally incorporated as 'Abhinav Real Estates Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956 at Mumbai, Maharashtra, pursuant to a certificate of incorporation dated July 8, 1994, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). Thereafter, the name of our Company changed from 'Abhinav Real Estates Private Limited' to 'Neelkanth Relators Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated January 22, 2004 was issued by Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). Subsequently, upon the conversion of our Company to public limited pursuant to a resolution passed by our Shareholders at the extra-ordinary general meeting on March 25, 2024, the name of our Company was changed to Neelkanth Realtors Limited. A fresh certificate of incorporation dated July 22, 2024 was issued by the RoC consequently to our Company's conversion into a public limited company. For details of change in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 202 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 30, 2024 ("DRHP").

Registered Office: 508, Dalamal House, Jammalal Bajaj Road, Naninam Point, Mumbai – 400 021 Maharashtra, India; **Tel:** +91 22 3511 3535.

Contact Person: Bhavesh Ramesh Pandya, Company Secretary and Compliance Officer, **E-mail:** compliance@neelkanthrealty.com; **Website:** www.neelkanth.com; **Corporate Identity Number:** U45200MH1994PLC079536

OUR PROMOTERS: RASHMI C BHIMJYANI, BHAVIK RASHMI BHIMJYANI, AVADH FINANCIAL ADVISORY LLP, BARSANA FINANCIAL ADVISORY LLP, MURLIDHAR FINANCIAL ADVISORY LLP, RASBIHARI ADVISORY SERVICES LLP, KAMASHI ADVISORY SERVICES LLP, SURSHYAM TRADING LLP AND CHITRAKOOT ADVISORY SERVICES LLP

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,35,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF NEELKANTH REALTORS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS ("ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [•] EDITIONS OF [•], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITION OF [•], A MARATHI NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED, WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with Book Running Lead Manager, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Issue is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 61(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (the "QIBs" and such portion, "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, (a) not less than 15% of the Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders (out of which one third shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹ 2,00,000 and up to ₹ 10,00,000 and two-thirds shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹ 10,00,000) and (b) not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) and UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter), which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank(s), as the case may be, to the extent of their respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For further details, please see "Issue Procedure" on page 363 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, website of the Company at www.neelkanth.com and the websites of the Book Running Lead Manager to the Issue i.e., Swastika Investmart Limited at www.swastika.co.in ("BRLM"). Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or the Company and/or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involves a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 32 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and RHP be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 202 of the DRHP.

For details of